

No.7/24/2007/E III (A)  
Government of India  
Ministry of Finance  
Department of Expenditure  
( E III-A Branch )

\*\*\*\*\*

North Block, New Delhi  
3<sup>rd</sup> October, 2016.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Grant of Non-Productivity Linked Bonus (ad-hoc bonus) to Central Government Employees for the year 2015-16.

\*\*\*\*\*

The undersigned is directed to convey the sanction of the President to the grant of Non-Productivity Linked Bonus (Ad-hoc Bonus) equivalent to 30 days emoluments for the accounting year 2015-16 to the Central Government employees in Groups 'C' and 'D' and all non-gazetted employees in Group 'B', who are not covered by any Productivity Linked Bonus Scheme. The calculation ceiling for payment of ad-hoc Bonus under these orders shall be monthly emoluments of Rs. 7000/-, as revised w.e.f 01/04/2014 vide OM No.7/4/2014-E.III(A), dated 29<sup>th</sup> August, 2016. The payment of ad-hoc Bonus under these orders will also be admissible to the eligible employees of Central Para Military Forces and Armed Forces. The orders will be deemed to be extended to the employees of Union Territory Administration which follow the Central Government pattern of emoluments and are not covered by any other bonus or ex-gratia scheme.

2. The benefit will be admissible subject to the following terms and conditions:-

- (i) Only those employees who were in service as on 31.3.2016 and have rendered at least six months of continuous service during the year 2015-16 will be eligible for payment under these orders. Pro-rata payment will be admissible to the eligible employees for period of continuous service during the year from six months to a full year, the eligibility period being taken in terms of number of months of service (rounded off to the nearest number of months);
- (ii) The quantum of Non-PLB (ad-hoc bonus) will be worked out on the basis of average emoluments/calculation ceiling whichever is lower. To calculate Non-PLB (Ad-hoc bonus) for one day, the average emoluments in a year will be divided by 30.4 (average number of days in a month). This will, thereafter, be multiplied by the number of days of bonus granted. To illustrate, taking the calculation ceiling of monthly emoluments of Rs. 7000 (where actual average



emoluments exceed Rs. 7000), Non-PLB (Ad-hoc Bonus) for thirty days would work out to Rs.  $7000 \times 30 / 30.4 = \text{Rs.} 6907.89$  (rounded off to Rs.6908/-).

- (iii) The casual labour who have worked in offices following a 6 days week for at least 240 days for each year for 3 years or more (206 days in each year for 3 years or more in the case of offices observing 5 day week), will be eligible for this Non-PLB (Ad-hoc Bonus) Payment. The amount of Non-PLB (ad-hoc bonus) payable will be (Rs.  $1200 \times 30 / 30.4$  i.e. Rs.1184.21 (rounded off to Rs.1184/-). In cases where the actual emoluments fall below Rs.1200/- p.m., the amount will be calculated on actual monthly emoluments.
- (iv) All payments under these orders will be rounded off to the nearest rupee.
- (v) The clarificatory orders issued vide this Ministry's OM No.F.14 (10)-E. Coord/88 dated 4.10.1988, as amended from time to time, would hold good.

3. The expenditure on this account will be debitable to the respective Heads to which the pay and allowances of these employees are debited.

4. The expenditure to be incurred on account of Non-PLB (Ad-hoc Bonus) is to be met from within the sanctioned budget provision of concerned Ministries/Departments for the current year.

5. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India.



(Amar Nath Singh)  
Director.

To,

All Ministries/Departments of the Government of India as per standard list etc.

Copy (with usual no. of spare copies) forwarded to C&AG, UPSC etc. as per standard list.

संख्या- 7/24/2007/ई-III(ए)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

संस्था-III (ए) अनुभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

3 अक्टूबर, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को वर्ष 2015-16 के लिए उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) प्रदान किया जाना।

अधोहस्ताक्षरी को केन्द्र सरकार के समूह "ग" तथा "घ" कर्मचारियों और समूह "ख" के सभी अराजपत्रित कर्मचारियों जो उत्पादकता से संबद्ध किसी बोनस स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं, को लेखा वर्ष 2015-16 के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) प्रदान किए जाने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति की सूचना देने का निदेश हुआ है। इन आदेशों के तहत तदर्थ बोनस के भुगतान के लिए गणना की अधिकतम सीमा, 29 अगस्त, 2016 के का.ज्ञा.सं.7/4/2014-ई.III(ए) के तहत 01/04/2014 से यथा-संशोधित 7000/- रुपए की मासिक परिलब्धियां होंगी। इन आदेशों के तहत तदर्थ बोनस का भुगतान केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगा। ये आदेश संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के उन कर्मचारियों पर भी लागू माने जाएंगे जो परिलब्धियों के संबंध में केन्द्र सरकार की पद्धति का अनुसरण करते हैं तथा जो किसी अन्य बोनस या अनुग्रह स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं।

2. यह लाभ निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार्य होगा:-

- (i) केवल वे कर्मचारी इन आदेशों के अंतर्गत भुगतान के पात्र होंगे, जो 31.03.2016 को सेवा में थे और जिन्होंने वर्ष 2015-16 में न्यूनतम छह महीने तक लगातार सेवा की है। वर्ष में छह महीने से लेकर पूरे एक वर्ष तक लगातार सेवा की अवधि के लिए पात्र कर्मचारियों को यथा-अनुपात भुगतान किया जाएगा, पात्रता-अवधि की गणना सेवा के महीनों (महीनों की निकटतम पूर्णांकित संख्या) के संदर्भ में की जाएगी।
- (ii) उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) की मात्रा की गणना औसत परिलब्धियों/गणना सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के आधार पर की जाएगी। एक दिन के लिए उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) की गणना करने के लिए एक वर्ष की औसत परिलब्धियों को 30.4 (एक महीने के औसत दिनों की संख्या) से विभाजित किया जाएगा। तत्पश्चात इसका बोनस दिए जाने की दिनों की

अमरनाथ सिंह

संख्या से गुणा किया जाएगा। उदाहरण के लिए, मासिक परिलब्धियों की अधिकतम गणना सीमा को 7000/- रुपए (जहां वास्तविक औसत परिलब्धियां 7000/- रुपए से ज्यादा हैं) मानते हुए 30 दिनों के लिए उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस)  $7000 \times 30/30.4 = 6907.89/-$  रुपए (पूर्णांकित 6908/- रुपए) बनेगा।

- (iii) ऐसे दिहाड़ी मजदूर, जिन्होंने 6 कार्य-दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों में पिछले तीन अथवा इससे अधिक वर्षों में हर वर्ष कम से कम 240 दिन (पांच कार्य-दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों के मामले में 3 या इससे अधिक वर्षों में हर वर्ष 206 दिन) कार्य किया है, इस उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) के भुगतान के पात्र होंगे। देय उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) की राशि  $1200 \text{ रुपए} \times 30/30.4$  अर्थात् 1184.21/- रुपए (पूर्णांकित 1184/- रुपए) होगी। ऐसे मामलों में जहां वास्तविक परिलब्धियां 1200/- रुपए प्रतिमाह से कम हैं, इस राशि की गणना वास्तविक मासिक परिलब्धियों के आधार पर की जाएगी।
- (iv) इन आदेशों के अंतर्गत सभी भुगतान रुपए के निकटतम पूर्णांक में किए जाएंगे।
- (v) इस मंत्रालय के, समय-समय पर यथा-संशोधित, दिनांक 04.10.1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.14(10)-ई.कोऑर्ड/88 के तहत जारी किए गए स्पष्टीकरण आदेश लागू होंगे।
3. इस मद में होने वाला व्यय उन संबंधित शीर्षों के नामे डाला जाएगा जिनमें इन कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते डाले जाते हैं।
4. उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) की मद में होने वाला व्यय चालू वर्ष के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों के संस्वीकृत बजट प्रावधान के अंदर पूरा किया जाना है।
5. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

**अमरनाथ सिंह**  
(अमर नाथ सिंह)  
निदेशक

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आदि को मानक वितरण सूची के अनुसार।

प्रतिलिपि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि को मानक सूची के अनुसार प्रेषित (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों के साथ)।